"फारेन फर्म्स आउट बोडिंग भेल" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार

2928. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोडा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 के दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फॉरेन फर्म्स आउट बोडिंग भेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० इगल राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के उपस्करों के निर्माण के लिए बी० एच० ई० एल० की क्षमता के उपयोग की सीमा की लगातार समीक्षा की जाती है । सरकार का प्रयास है कि विद्युत उत्पादन के उपस्करों की प्राप्ति के लिए मूलत: देशी निर्माताओं पर निर्भर रहा जाए ।

Estimated production of Petroleum and Natural Gas in Andhra Pradesh

2929. SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the estimated production potential of petroleum and natural gas in Andhra Pradesh in the Seventh and the Eighth Plan periods;

(b) what is the quantity of petroleum and natural gas being produced at present in Andhra Pradesh; and

(c) whether there is any proposal for laying a pipeline for carryig the natural gas from the places of production to any refinery and fertilizer project in Andhra Pradesh, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) and (b) Krishna-Godavari onshore basin is still under delineation and the exact hydrocarbon potential will be known only after delineation is complete. However, oil and gas are being produced from a few prospects through Early Production System at the rate of about 5 tonnes per day of oil and 55,000 cubic metres per day of gas.

Another offshore prospect is planned to be put on EPS by the middle of 1989.

(c) A commitment in principle has been made for a fertilizer plant at Kakinada; a pipeline will have to be laid for this purpose as and when supply is made.

लघु और कुटीर उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिये योजना

2930. **श्री रामनरेश यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इन उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान के बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में जन-शक्ति की प्रचुरता को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योगों के विकासार्थ उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है । यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) अनुषंगी अथवा लघु औद्योगिक उपक्रमों में ही एक मात्रा

उत्पादन किए जाने के लिए विशिष्ट वस्तुओं के आरक्षण हेतु उद्योग (विकास तथा विनियम) संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 5 में प्रावधान किया जाता है। इस धारा में उक्त आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंस लेने की आवश्यकता के लिए भी प्रावधान किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तु के आरक्षण की तारीख पर विद्यमान स्तर तक उनकी क्षमता सीमित की जाती है। यदि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण बड़े औद्योगिक उपक्रम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके आवेदनों पर केवल तब ही विचार किया जा सकता है यदि वे अधिक से अधिक तीन वर्षों में उपलब्ध किए जाने वाले नए अथवा अतिरिक्त उत्पादन के कम से कम 75% भाग का निर्यात दायित्व उठाने का वचन देते हैं। किसी भी वस्तु को केवल कुटीर उद्योग में उत्पादन के लिए आरक्षित नहीं किया जाता है।

(घ) सरकार लघु उद्योग क्षेत्र की मदद करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये समय समय पर अनेक नीतियों का अनुसरण तथा उपाय करती रही है। इनमें एकमात्र उत्पादन तथा सरकारी खरीद के लिए वस्तुओं का आरक्षण, संयंत्र तथा मशीनों में निवेश सीमा की वृद्धि, उत्पादन शुल्क रियायतें, लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना, राष्ट्रीय इक्विटी निधि, रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमान्त धन योजना का लागू होना, रियायती वित्त की व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल का विकास, क्षेत्र परीक्षण केन्द्रों की स्थापना, आद्यरूपों का रूपांकन तथा विकास, सामान्य सुविधा सेवाएं, पूरे देश में फैले हुए लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस आई एस आई), शाखा संस्थानों तथा विस्तार केन्द्रों के नैटवर्क के माध्यम से कौशल एवं प्रौद्योगिकी उन्नत करना एवं परामर्श देना शामिल है, इसके अलावा, ग्राम्य एवं लघु उद्यमियों की सभी आवश्यक सेवायें तथा सहायता उपलब्ध कराने और जिला स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के कनेक्शन

2931. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अगस्त, 1988 तक संपूर्ण देश में उपलब्ध कराये गए तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के कनेक्शनों की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी है, यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कुल कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उन्हें 1988-89 के अंत तक तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के कनेक्शन उपलब्ध करा देगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में बाटलिंग-संयंत्रों की स्थापना के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पहली अक्टूबर, 1988 को देश में लगभग 146.2 लाख एल० पी० जी० उपभोक्ता तथा 36.2 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। (नीचे **देखिये**)

(ग) एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने पर तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से नए एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किए जाते हैं।